न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्वत (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 120 / 2024
अनवान : –

1. पुजा पुत्री हनुमान नाबालिग जरिये बली माता प्रमिला पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
2. रितिका पुत्री हनुमान नाबालिग जरिये बली माता प्रमिला पत्नी हनुमान जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।

– प्रार्थीगण

बनाम्

1. शान्तिदेवी पत्नी रामप्रताप जाति जाट साकिन दलपतपुरा तहसील नोहर।
2. हनुमान पुत्र जीताराम जाति जाट साकिन रायसिंहपुरा तहसील नोहर।
3. उप पंजीयक कार्यालय नोहर तहसील नोहर।
4. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.एक्ट.

उपस्थिति :– श्री हवासिंह पुनिया अधिवक्ता **सायल**
श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता **गैरसायल**

निर्णय दिनांकः 25/11/25

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि प्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया कि रोही मौजा आपुवाला तहसील नोहर के ख0न0 159 की 0.6320 हैक्ट, 161 की 7.8150 हैक्ट, 182 की 0.1900 हैक्ट कुल 8.6370 हैक्ट भूमि में गैरसायल स0 2 के नाम 0.791 हैक्ट भूमि का खातेदार काश्तकार था।

विवादित्त भुमि पैतृकि जदी जायदाद है जो गैरसायल न. 2 को परिवार का मुखिया एवं कर्ता खानदान होने के कारण अपने पिता से प्राप्त हुई है जिसमें सायलान का जन्म से ही अपने पिता गैरसायल न. 2 ने साजिसाना कार्यवाही कर गुपचुप तरिके से विवादित भूमि का बैयनामा दिनांक 29–11–2021 को गैरसायला नं. 1 के पहा में उपपंजियक कार्यालय नोहर में तस्दीक करवा दिया एवं उसका राजस्व रिकार्ड में अंकन हो चुका है जिसका नाजायज फायदा उठाने के लिए विवादित भुमि को रहन बैय एवं मुतकिल करने की सरेआम धमकी देती है यदि गैरसायला न. 1 अपने उक्त मकसद में कामयाब हो जाती है तो सायलान को भारी नुकसान होता है जिसकी पूर्ति बाद में किसी प्रकार से सभंव नहीं है इसलिये सायलान, गैरसायला न. 1 के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा जारी करवाने की अधिकारी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:31 IST
Reason: SelfAttested

लिहाजा प्रार्थना पत्र मयं शपथ पत्र पेश [illegible] कि गैरसायलान के खिलाफ अस्थायी निषेधाज्ञा इस अमर की जारी कि [illegible] विवादित भूमि रोही मौजा आपुवाला तहसील नोहर के ख.न. 159 की 0.6320, 161 की 7.8150, [illegible]2 की 0.1900 कुल [illegible] हैक्टेयर भूमि को रहन बैय एवं मुंतकिल ना करे एवं विवादित भूमि कि मोका एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे ।

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। रोही मौजा आपुवाला तहसील नोहर के ख0न0 159 की 0.6320 हैक्ट, 161 की 7.8150 हैक्ट, 182 की 0.1900 हैक्ट कुल 8. 6370 हैक्ट भूमि में अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय की जारी की गई की अप्रार्थीगण उक्त वाद भूमि के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे।

अप्रार्थीगण को तलब किया गया । अप्रार्थी स0 2 को विधिवत सम्यक नोटिस तामील होने के बाद भी अप्रार्थी स0 2 उपस्थित नही अतः अप्रार्थी स0 2 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। अप्रार्थी स0 1 ने जरिय अधिवक्ता जवाब प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया की सायल का वादग्रस्त भूमि में कोई हक व हिस्सा नही है तथा ना ही माननीय न्यायालय से किसी प्रकार से हक व हिस्सा के की घोषणा करवापाने के अधिकारी नही है। उतरदाता सं. 1 वादग्रस्त भूमि काश्त करता आ रहा है एवं उत्तरदाता सं. 1 की वादग्रस्त भूमि खरीद शुदा है एवं गैरसायल सं. 2 अपने नाम दर्ज कृषि भूमि बैय कर चुका है तथा गैरसायल सं. 2 द्वारा वाद भूमि बैय करने पर कोई हिस्सा शेष नही रहा है इसलिए वादग्रस्त भूमि में सायलान का हक व हिस्सा नही बनता है। गैरसायल स0 2 द्वारा दिनांक 29.11.2021 को 2309/8638 हिस्सा भूमि का जरिये बैयनाम गैरसायल स0 1 को बेचान किया गया उक्त्त उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण स0 787 दिनांक 08.04.2022 को स्वीकार हुआ है एवं उत्त्तरदाता स0 1 द्वारा वाद भूमि जरिये बैयनामा खरीद की गई है जबकि दिनांक 24.05.2022 को अप्रार्थी स0 2 द्वारा 7897/71070 हिस्सा भूमि का बेचान यशवीर पुत्र जयमलराम को 0.7897 हैक्ट भूमि का बेचान किया गया था लेकिन सायल द्वारा यशवीर को पक्षकार ही नही बनाया गया है प्रार्थीयान द्वारा केवल अप्रार्थी स0 1 को तंग व परेशान करने के लिए यह वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यह प्रार्थना पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार का नही है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमावे।

बहस अधिवक्ता उभयपक्ष सुनी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन करने एवं प्रार्थना पत्र, जमाबंदी का गहन अध्ययन करने के उपरान्त इस नतीजे पर पहूंचे है कि वादग्रस्त भूमि बाबत हक अधिकारों की घोषणा मूल दावें के निर्णय में तय होने है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 212 के प्रार्थना पत्र के निस्तारण के दौरान केवल यह देखना है कि प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का सन्तुलन किसके पक्ष मे है तथा अपूर्णीय क्षति किसको होती है? प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण के हक अधिकारों की घोषणा मूल दावे में तय होना है।

प्रार्थी का कथन है कि अप्रार्थी स0 2 द्वारा पैतृक भूमि का बेचान प्रतिवादी स0 1 को किया गया है जबकि उक्त भूमि पैतृक होने के कारण सायलान का भी उक्त भूमि में जन्मजात हक हिस्सा है गैरसायल स0 1 के पक्ष में हक से ज्यादा भूमि का किया गया बैयनामा सायलान के हकूक के मुकाबले शुन्य व प्रभावहीन है जबकि अधिवक्ता अप्रार्थी स0 1 का कथन है कि अप्रार्थी स0 2 द्वारा यशवीर सिंह पुत्र जयमलराम को दिनांक 24.05.2022 को 0.7897 हैक्ट भूमि का बेचान किया गया था लेकिन प्रार्थीगण द्वारा यशवीर सिंह को पक्षकार ही नही बनाया सिर्फ अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध ही वाद व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है अप्रार्थी स0 1 की उक्त

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:50:31 IST
Reason: SelfAttested

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

भूमि जरिये रजिस्टर्ड बैयनाम खरीद की गई है। पत्रावली में प्रस्तुत बैयनामा के अवलोकन के मुताबिक अप्रार्थी स0 2 द्वारा अप्रार्थी स0 1 व यशवीर सिंह पुत्र जयमलराम को भूमि का बेचान किया गया है लेकिन सायलान द्वारा सिर्फ अप्रार्थी स0 1 के विरूद्ध ही दावा व प्रार्थना पत्र पेश किया गया है यशवीर सिंह को न तो वाद में एव नही प्रार्थना पत्र में पक्षकार बनाया गया है अर्थात प्रार्थीगण द्वारा क्लीन हैण्ड वाद/प्रार्थना पत्र पेश नही किया गया है। अप्रार्थी के पक्ष में किया गया बैयनामा आदिनांक तक वैध है अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा उक्त बैयनामा के खंडन में कोई दस्तावेज भी पेश नही किया गया है, उक्त विवेचनानुसार प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में साबित होता है न की प्रार्थी के पक्ष में। जब प्रथम दृष्टया मामला अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध हो गया है तो सुविधा का संतुलन भी अप्रार्थीगण के पक्ष में सिद्ध होता है। अगर निषेधाज्ञा ताफैसला कन्फर्म की जाती है तो अपूर्णीय क्षति भी अप्रार्थीगण को होगी न की प्रार्थी को। प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति इन तीनों ही तत्वों में से कोई भी तत्व प्रार्थी के पक्ष में साबित नही होते है बल्कि अप्रार्थीगण के पक्ष में बखूबी साबित है। इसलिए अप्रार्थीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना किसी भी तरह से न्यायोचित प्रतीत नही होता है तथा प्राकृतिक न्याय एवं साम्य न्याय के सिद्धान्तों के विपरित है।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अस्थाई निषेधाज्ञा साबित नही होने से दिनांक 07.06.2024 को जारी की गई अस्थायी निषेधाज्ञा खारिज की जाती है। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 25/11/25 मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2025.12.03 17:30:31 IST
Reason: SelfAttested